**उत्तर प्रदेश शासन**

**चीनी उद्योग अनुभाग-3**

**संख्या:6/2021/1544/46-3-21-3(48) / 98-99**

**लखनऊः दिनांक 24 दिसम्बर, 2021**

**कार्यालय-ज्ञाप**

गन्ना किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य (एस.ए.पी.) घोषित किया जाता है। प्रत्येक गन्ना पेराई सत्र, जो माह अक्टूबर से प्रारम्भ होकर आगामी वर्ष के माह जुलाई तक होता है, के लिये शासन स्तर से **"राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य निर्धारण संस्तुति समिति"** का गठन किया जाता है जो संबंधित पेराई सत्र के लिये ही क्रियाशील रहती है। अतः शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त, आगामी पेराई सत्र 2022-23 एवं पश्चातवर्ती समस्त पेराई सत्रों के लिये राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य निर्धारण हेतु मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में **"राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य निर्धारण संस्तुति समिति"** का स्थायी रूप से गठन किया जाता है, जो आगामी पेराई सत्र 2022-23 एवं पश्चातवर्ती समस्त पेराई सत्रों के लिये क्रियाशील रहेगी। उक्त समिति की सदस्य संरचना निम्नवत होगी:-

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन** | **अध्यक्ष** |
| 2 | अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ.प्र. शासन | सदस्य |
| 3 | अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग, उ.प्र. शासन | सदस्य |
| 4 | प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ.प्र. शासन | सदस्य |
| 5 | आयुक्त, गन्ना एवं चीनी उ.प्र. लखनऊ | सदस्य |
| 6 | निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ | सदस्य |
| 7 | निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर | सदस्य |
| 8 | निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर | सदस्य |
| 9 | उत्कृष्ट कार्य योजना के अन्तर्गत प्रथम स्थान पाने वाली सहकारी गन्ना विकास समिति के अध्यक्ष | सदस्य |
| 10 | गन्ना विकास विभाग में संचालित गन्ना उत्पादन प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान पाने वाले प्रगतिशील गन्ना कृषकगण | सदस्य |
| 11 | विशेष सचिव, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग, उ.प्र. शासन | सदस्य सचिव |

2. उपरोक्तानुसार स्थायी रूप से गठित की गयी समिति की प्रतिवर्ष माह अगस्त के अन्तिम सप्ताह से माह सितम्बर के प्रथम सप्ताह के मध्य बैठक आहूत की जायेगी तथा समिति के द्वारा यथा आवश्कता चीनी मिलों, खाण्डसारी इकाइयों तथा गन्ना किसानों, सहकारी गन्ना विकास समितियों के प्रतिनिधियों, प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि., प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, भारतीय गन्ना निदेशालय तथा कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ के कृषि अर्थशास्त्री आदि से समस्त सुसंगत



1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पहलुओं पर विचार-विमर्श करके राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य के निर्धारण हेतु अपनी संस्तुतियां राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेंगी।

3. उपरोक्त समिति की संस्तुति प्राप्त होने के उपरान्त निर्धारित प्रक्रियानुसार मा. मंत्रि-परिषद का अनुमोदन प्राप्त करते हुये पेराई सत्र के प्रारम्भ होने से पूर्व गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य (एस.ए.पी.) का निर्धारण व उद्घोषणा राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

**संजय आर. भूसरेड्डी**
**अपर मुख्य सचिव।**

संख्या:6/2021/1544(1)/46-3-2021 तद्दिनांक

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

1. समिति के समस्त सदस्यगण।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उ.प्र. शासन।
3. आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन को मुख्य सचिव के अवगतार्थ।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव उ.प्र. शासन।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी गन्ना समिति संघ लि. लखनऊ।
9. अध्यक्ष, उ.प्र. शुगर मिल एसोसियेशन, चिन्टल हाउस, लखनऊ।
10. निजी सचिव, मा. मंत्री, गन्ना विकास एवं चीनी मिलें, उ.प्र. को मा. मंत्री जी के सूचनार्थ।
11. निजी सचिव, मा. राज्य मंत्री, गन्ना विकास एवं चीनी मिलें, उ.प्र. को मा. राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ।
12. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उ.प्र. शासन को अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव के सूचनार्थ।
13. चीनी उद्योग अनुभाग-1/2
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
**सुनील कुमार श्रीवास्तव**
अनु सचिव।



1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।